भारत सरकार
भारत के प्रेस महापंजीयक का कार्यालय
(सूचना और प्रसारण मंत्रालय)
नई दिल्ली

प्रिंटरों के लिए परामर्शी (2024 की संख्या 4) : प्रिंटिंग प्रेसों के स्वामी/कीपर

विषयः- प्रिंटर द्वारा ऑनलाइन सूचना तथा प्रेस सेवा पोर्टल पर प्रिंटिंग प्रेस के प्रोफाइल का सृजन।

भारत सरकार ने अपने राजपत्र में ऐतिहासिक प्रेस और नियतकालिक पत्रिका का पंजीकरण अधिनियम, 2023 तथा इसकी नियमावली को अधिसूचित किया है और इसके परिणामस्वरूप यह अधिनियम 01 मार्च, 2024 लागू हो गया है। अतः प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 निरस्त हो गया है।
अब से नियतकालिक पत्रिकाओं का पंजीकरण प्रेस और नियतकालिक पत्रिकाओं का पंजीकरण अधिनियम (पी.आर.पी. अधिनियम), 2023 तथा प्रेस और नियतकालिक पत्रिकाओं का पंजीकरण नियमावली के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होगा। **भारत के प्रेस महापंजीयक – पी.आर.जी.आई. का कार्यालय** (पूर्व में भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक – आर.एन.आई. का कार्यालय) इस नए अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करेगा। तद्नुसार, यह परामर्शी इस नए अधिनियम के अनुसार नियतकालिक पत्रिकाओं के पंजीकरण में सम्मिलित प्रक्रियाओं/चरणों के संबंध में पत्रिकाओं के स्वामियों, प्रकाशकों तथा अन्य हितधारियों की सूचना और दिशानिर्देशन के लिए जारी की गई है।

1. **भारत में नियतकालिक पत्रिका का मुद्रण अथवा प्रकाशन केवल इस नए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप ही किया जाएगा।**
2. नियतकालिक पत्रिकाओं के पंजीकरण के लिए सभी आवेदन केवल ऑनलाइन ही किए जाएगें और इस उद्देश्य के लिए नया **प्रेस सेवा पोर्टल (presssewa.prgi.gov.in)** सृजित किया गया है।
3. पी.आर.पी. अधिनियम, 2023 के अनुसार '**मुद्रक**' को प्रिंटिंग प्रेस का स्वामी या कीपर के रूप में परिभाषित किया गया है। "**कीपर**" वह व्यक्ति है जो गैर व्यक्तिगत इकाई (कम्पनी या ट्रस्ट) के स्वामित्व वाली प्रिंटिंग प्रेस के दिन प्रतिदिन के प्रचालनों का प्रबंध करता है।
4. पी.आर.पी. अधिनियम "मुद्रण" को प्रतियों के व्यापक उत्पादन में सम्मिलित किसी प्रोद्यौगिकी के माध्यम से पत्रिकाओं के पुनरुत्पादन के रूप में परिभाषित करता है, परन्तु जिसमें फोटोकॉपी करना शामिल नहीं है।
5. पी.आर.पी. अधिनियम की धारा 3 के अनुसार "नियतकालिक पत्रिका का प्रत्येक मुद्रक भारत के प्रेस महापंजीयक तथा निर्दिष्ट प्राधिकारी जिनके अधिकार क्षेत्र में उसकी प्रिंटिंग प्रेस स्थित है, को ऐसे विवरणों के साथ और इस प्रकार से जैसा निर्धारित किया जा सकता है, **ऑनलाइन पोर्टल पर सूचना** प्रस्तुत करेंगे।"
6. अतः मुद्रक प्रेस सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन सूचना प्रस्तुत करते हैं और यह सूचना पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप में जिले में निर्दिष्ट प्राधिकारी के साथ साझा की

जाएगी। इसलिए इस अधिनियम के तहत मुद्रक द्वारा जिला प्राधिकारियों को अलग से कोई आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

7. उपर्युक्त उद्देश्य हेतु मुद्रकों को प्रेस सेवा पोर्टल पर अपने प्रिंटिंग प्रेसों के लिए प्रोफाइल सृजित करने की आवश्यकता है। मौजूदा प्रिंटिंग प्रेस जिन्होने भूत काल में निर्दिष्ट प्राधिकारियों के पास पुराने पी.आर.बी. अधिनियम, 1867 की धारा 4 के तहत घोषणापत्र दाखिल किए हैं, वे उस घोषणापत्र की एक प्रति भी अपलोड कर सकते हैं।
8. मुद्रकों से स्थान (डाक के पते), मशीन की क्षमता और अन्य तकनीकी विशेष विवरण जैसा प्रेस पोर्टल में अनुरोध किया गया है, के बारे में समग्र ब्यौरा प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया है। मुद्रक के एक से अधिक स्थान पर प्रेस होने के मामले में प्रत्येक प्रिंटिंग प्रेस के लिए अलग अलग यूजर आईडी सृजित की जा सकती है।
9. यदि मुद्रक प्रिंटिंग प्रेस का कीपर है, तो निम्नानुसार रूप में यूजर आईडी सृजित की जा सकती है, ताकि उसके द्वारा प्रबंधित सभी प्रेसों को एकल एकाउंट लेटर में समेकित किया जा सके।
   क. यदि पहली प्रिंटिंग प्रेस का एकाउंट यूजर आईडी rajan@gmail.com के साथ सृजित किया गया है, तो दूसरी प्रिंटिंग प्रेस का एकाउंट ईमेल आईडी के पहले उपसर्ग press2+rajan@gmail.com के रूप में जोड़ते हुए बनाया जा सकता है। इसी प्रकार तीसरी प्रिंटिंग प्रेस का एकाउंट press3+rajan@gmail.com के साथ बनाया जा सकता है।
   ख. इससे प्राथमिक ईमेल आईडी पर चेतावनी/ईमेल भेजने/प्राप्त करने में सहायता मिलेगी जबकि अलग अलग एकाउंटों का प्रबंध जैसा उपर बनाया गया है, आईडी के साथ लोगइन करके किया जा सकता है।
10. पी.आर.जी.आई. (भूतपूर्व आर.एन.आई.) में पहले से पंजीकृत पत्रिकाओं के पंजीकरण आंकड़े प्रेस सेवा पोर्टल में पहले से डाले जा रहे हैं। अतः मुद्रकों का उनकी प्रिंटिंग प्रेस में वर्तमान में मुद्रित किए जा रहे सभी समाचारपत्रों/संस्करणों/पत्रिकाओं के डाटाबेस से चयन किए जाने की आवश्यकता है।
11. मुद्रकों को पोर्टल पर उपलब्ध सूची से विशेषरूप से उन समाचारपत्रों का चयन करना चाहिए जिन्हे वे वर्तमान में मुद्रित कर रहे हैं। इससे प्रत्येक प्रिंटिंग प्रेस के साथ जुड़ी पत्रिकाओं के संबंध में सटीक और अद्यतन सूचना सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी।
12. जब भी प्रकाशक पत्रिका के पंजीकरण के लिए अनुरोध करता है तो मुद्रक (प्रिंटिंग प्रेस का स्वामी/कीपर) को प्रेस सेवा पोर्टल पर प्रिंटिंग प्रेस के एकाउंट के माध्यम से प्रिंटिंग सत्यापन के अनुरोध को पृष्ठांकित करने की आवश्यकता है।
13. इस संबंध में किसी प्रश्न के स्पष्टीकरण के लिए **it-helpdesk.rni@gov.in** ईमेल करें अथवा दूरभाष **011-24369980** के माध्यम से हम तक पहुंचे।

इसे प्रेस महापंजीयक महोदय के अनुमोदन से जारी किया गया है।